

श्रीमान्जी

37/11.4.19


निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।


प्रार्थी-वसीयतकर्ता श्री रमेश कुमार कुक्कड़ पुत्र श्री मखन सिंह कुक्कड़ जाति अरोड़ा निवसी 50 सी ब्लॉक, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत एक बन्द वसीयत सिल्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखा जावें।

प्रार्थी को गवाह श्री विनोद कुमार पुत्र किशनलाल एवं श्री यशपाल सिंह पुत्र मखन सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री अवरिन्द्र सिंह अरोड़ा अधिवक्ता, श्रीगंगानगर ने की है एवं वकालतनामा पेश किया है।

अतः नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा सेफ कस्टडी में रखे जाने के आदेश हेतु प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

  
11/4/2019



11/4/2019